प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के अंतर्गत मार्च 2015 को समाप्त हुये वर्ष के लिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य के पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों सहित संबंधित विभागों के लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

वर्ष 2014–15 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा में प्रकाश में आये प्रकरणों के साथ–साथ वैसे प्रकरण, जो पूर्व वर्षो में प्रकाश में आये, परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके, आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपन्न किया गया है।